190)

12/13/2017-डीपीडी

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2017

अधिसूचना

विषय: दुकानदारों के लिए भीम कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन ।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। खण्ड-। में प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए दुकानदारों के बीच इसके इस्तेमाल को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर भीम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ-साथ भीम के माध्यम से लेनदेनों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक नामक एक योजना अधिसूचित की थी।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है ।

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा दुकानदारों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना विषय के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। खण्ड-। में प्रकाशित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

   पैराग्राफ 2.1 – दुकानदारों के लिए भीम कैशबैक नामक योजना तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2018 तक चालू रहेगी ।

पैराग्राफ 2.3 -

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों को कैशबैक (माह के अंत में)
लेनदेनों की संख्या	
20-50	50 रुपए
>50	950 रुपए तक 2 रुपए प्रति लेनदेन
कुल कैशबैक/दुकानदार/माह	1000 रुपए
शर्त	न्यूनतम 20 क्रेडिट लेनदेन (कम से कम 20 लेनदेन विशिष्ट हों) प्रत्येक लेनदेन का न्यूनतम मूल्य 25 रुपए ।

पैराग्राफ 3.1 कैशबैक के लिए अर्हता हेतु दुकानदारों के परिभाषित लेनदेन मानदंड निम्नानुसार हैं :

क. भीम प्रयोक्ताओं सहित वैध यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से न्यूनतम 20 करेडिट वित्तीय लेनदेन ।

ख. सभी उपर्युक्त लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रुपए होना चाहिए ।

2. अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी ।

सं. कु. राकेश

(संजय कुमार राकेश)
संयुक्त सचिव